47

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 751–दो/2004 – विरूद्व – आदेश दिनांक – 22–3–2004 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 194/2002–03 अपील

श्रीमती देवा वाई पत्नि बेताल सिंह
पुत्री सुल्तान सिंह ग्राम मढ़ेपुरा
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड म0प्र0 ———आवेदक

विरूद्व

नाथू सिंह पुत्र हाकिम सिंह
ग्राम मेहरा तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एन0डी0शर्मा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 194/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–3–2004 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मेहरा तहसील मेहगॉव के खाता कमांक 120 के भूमिस्वामी देवी सिंह पुत्र रामलाल थे जिनकी मृत्यु उपरांत अपीलांट, रिस्पाण्ड कमांक 1 व 2 व्दारा बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की गई। नायव तहसीलदार वृत्त अमायन ने प्रकरण कमांक 5/1983–84 अ–6 पंजीबद्व किया तथा

जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 18–7–90 पारित करके बसीयतग्रहीता नाथू सिंह का नामान्तरण कर दिया तथा महिला देवावाई एंव सुजान सिंह के नामान्तरण के आवेदन निरस्त कर दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 108 एंव 109 प्रस्तुत गई। अनुविभांगीय अधिकारी, मेहगॉव ने दोनों प्रकरणों में पारित सॅयुक्त आदेश दिनांक 22–3–2004 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना के समक्ष प्रथक प्रथक दो अपील कमशः 194/2002–03 एंव 117/90–91 प्रस्तुत हुई , जिनमें से अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 117/90–91 में पारित आदेश दिनांक 28–2–2002 से अपील निरस्त कर दी गई एंव अपील कमांक 194/2002–03 में पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 22–3–2004 पारित किया गया तथा अपील निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये। तथा अपर आयुक्त के अपील प्रकरण कमांक 194/02–03 का अवलोकन किया गया। अनावेदक को बार–बार सूचना पत्र भेजने के वाद सूचना पत्रों के सम्यक निर्वहन की जानकारी के अभाव में पंजीकृत डाक से सूचना पत्र भेजा गया, किन्तु सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के अपील प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के हित में मृतक भूमिस्वामी ने पंजीकृत बसीयत की है, जबकि आवेदक अपॅजीकृत बसीयतग्रहीता है। तहसील न्यायालय में अनावेदक व्दारा प्रस्तुत बसीयत के साक्षीगण के कथनों से बसीयत प्रमाणित पाई गई है। अपॅजीकृत बसीयत से पॅजीकृत बसीयत अधिक विश्वसनीय होती है। इसके अतिरिक्त जब अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक के हित में की गई बसीयत की जॉच की गई – बसीयत में काटपीट व ओव्हरराईटिंग होना पाई गई है। नामान्तरण नियमों के अधीन राजस्व न्यायालयों को यह देखना होता है कि जिस खाते पर नामांत्रण किया जा रहा है नामांत्रिती को नामान्तरण का हक है अथवा नहीं और यह लेखी एंव मौखिक साक्ष्य से नामांत्रण के दावेदार को प्रमाणित करना होता है किन्तु

विचारण न्यायालय में आवेदक अपने नामांत्रण के दावे को प्रमाणित नहीं कर सकी है इसके विपरीत अनावेदक स्वयं व्दारा प्रस्तुत बसीयत एंव नामान्तरण दावे को प्रमाणित करने में सफल रहा है जिसके कारण नायव तहसीलदार वृत्त अमायन ने प्रकरण कमांक 5/1983–84 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 18–7–90 से अनावेदक का मृतक देवी सिंह पुत्र रामलाल की भूमि पर नामान्तरण किया है ओर इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने आदेश दिनांक 22–3–2004 में तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर नेप्रकरण कमांक 194/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–3–2004 में नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के अधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 194/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–3–2004 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर